फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

नत्थूराम बनाम सुमित्रादेवी आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नं० 11/27.02.2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
27-02-20	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का अधिवक्ता श्री मदनलाल कड़वासरा के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके चक न0 1 बीबीएम के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 22 ता 25 तक, मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 19 ता 22, मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 2 ता 9 इस प्रकार कुल 4.048 हैक्टेयर, चक 2 बीबीएम के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 13 ता 18, 23 ता 25, मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 19 ता 22, मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 1, 10 ता 12 की 1.012 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 3 ता 8 की 1.518 हैक्टेयर व चक 10 एएमएस के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 4, 5 वादभूमि में प्रार्थी के हक हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 20.04.2020 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं होगा। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नही करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नही बढ़ाई जावेगी। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण के तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.04.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/04/20	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते. तलबी दिनांक 13.08.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/08/20	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते. तलबी दिनांक 14.09.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
20/7/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 20/9/22 पेश हो। Sd/-	
20/9/22	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ...d. साक्ष्य दिनांक 30.11.22 को पेश हो। Sd/-	
30/11/22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० नहीं वकील प्रार्थी व प्रार्थी को आवाज बार बार लगवाई गई किन्तु प्रार्थी या प्रार्थी का कोई लेकिन उपस्थित नहीं अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Sd/-	